



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169, चितवन एस्टेट, सैक्टर-गामा, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला- गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.

पत्रांक- ग्रेनो/सम्पत्ति/2013/67853
दिनांक 09 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित परिसम्पत्तियों (भूखण्ड एवं भवनों) के निरस्तीकरण की दशा में उनके पुनर्स्थापन हेतु कार्यालय आदेश संख्या-सम्पत्ति/2003/1373, दिनांक 18.12.2003 के द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी, जिसे अद्यावधिक/संशोधित किये जाने हेतु प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.11.2013 के मद संख्या- 96/10 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निरस्त भूखण्ड एवं भवनों के पुनर्स्थापन हेतु निम्नानुसार संशोधित नीति निर्धारित की जाती है -

भूखण्ड -

1. जब्तीकरण/निरस्तीकरण के दिनांक तक कम से कम भूखण्ड के कुल प्रीमियम की 30 प्रतिशत धनराशि जमा हो।
2. पुनर्स्थापन हेतु आवेदन जब्तीकरण/निरस्तीकरण के दिनांक से 6 माह के भीतर किया गया हो।
3. देय धनराशि योजना में प्रचलित ब्याज दर (तिमाही चक्रवृद्धि) की दर से गणना करते हुए प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
4. 10 प्रतिशत पुनर्स्थापन अधिभार प्राधिकरण की आवासीय भूखण्डों की वर्तमान प्रचलित दर पर जमा कराना होगा।
5. भूखण्ड की उपलब्धता हो।

भवन -

1. जब्तीकरण/निरस्तीकरण के दिनांक तक कम से कम भूखण्ड के कुल प्रीमियम की 30 प्रतिशत धनराशि जमा हो।
2. पुनर्स्थापन हेतु आवेदन जब्तीकरण/निरस्तीकरण के दिनांक से 6 माह के भीतर किया गया हो।
3. भवन की उपलब्ध हो।
4. 40 वर्ग मीटर तक के भवनों पर पुनर्स्थापन शुल्क भवन के कुल प्रीमियम का 1% की दर से लिया जायेगा।
5. 40 वर्ग मीटर से अधिक के भवनों पर पुनर्स्थापन शुल्क भवन के कुल प्रीमियम का 5% की दर से लिया जायेगा।

उपरोक्त नीति तत्काल प्रभावी होगी ।

(मानवेन्द्र सिंह)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के अवलोकनार्थ। 67853
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अवलोकनार्थ। 67855
3. विशेष कार्याधिकारी (एस) ग्रेटर नौएडा 67857
4. विशेष कार्याधिकारी (वाईवाई) ग्रेटर नौएडा 67856
5. महाप्रबंधक (वित्त/परियोजना/नियोजन) G.M. Pkg. 67860, G.M. (Pkg) 67859
6. समस्त प्रबंधक (आवासीय सम्पत्ति) G.M. (CF) 67858
7. गार्ड फाईल।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी